

अभिलेख उपस्थापित।

बुधन भुइया पिता स्व० हुलास भुइया, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, पोस्ट-सुधार विद्यालय, थाना-सदर हाल थाना-लोहसिंघना ओ०पी०, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-823, 858 एवं 947 रकबा क्रमशः 0.01 एकड़, 0.0075 एकड़ एवं 0.0025 एकड़ कुल रकबा 0.02 एकड़ (02 डिसिमिल) (दो डिसिमिल) भूमि मंजु देवी पति परमेश्वर रबिदास, निवास स्थान ग्राम-कैवला, पोस्ट-पदमा, थाना-बरही ओ०पी० पदमा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-17/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 106/रा० दिनांक 11.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 834 दिनांक 28.04.2023 से जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ड्रेस नक्शा एवं चेक रलीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपसि दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदमानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार रैयती किरम की भूमि है। खतियागी रैयत हुलास भुइया वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.61 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 2.7825 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-39/1 पर ऑनलाईन में हुलास भुइया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदक के पिता जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 2.7625 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ. कार. टिप्पणी
1	2	

अन्तर्गत जर्ही है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बुधन भुइंया पिता स्व० हुलास भुइंया, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, पोस्ट-सुधार विद्यालय, थाना-सदर हाल थाना-लोहसिंघना ओ०पी०, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-39 प्लॉट संख्या-823, 858 एवं 947 रकबा क्रमशः 0.01 एकड़, 0.0075 एकड़ एवं 0.0025 एकड़ कुल रकबा 0.02 एकड़ (02 डिसिमिल) (दो डिसिमिल) भूमि मंजु देवी पति परमेश्वर रविदास, निवास स्थान ग्राम-केवला, पोस्ट-पदमा, थाना-बरही ओ०पी० पदमा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही चाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहत्ता, हजारीबाग।

अपर समाहत्ता, हजारीबाग।